न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

37/2021

भगवानदास जांगीड़ पुत्र श्री कृष्णचन्द जागीड़ वार्ड नं0 18 ताज कालोनी रोडवेज डिपो के सामने टोंक जिला– टोंक राज0

बनाम

––अपीलार्थी

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा जिला– टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 6–12–2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिमकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 4–9–2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

मुआवजा के दर प्रति हैक्टर खराब फसल खरीफ 2019

1 वि.सं0 2076 खरीफ फसल सन 2019 में माह जोलाई 19 से सितम्बर 2019 में उनियारा हल्का में अतिवृष्टि से खराब हुई फसल गवार, बाजरा, जुवार,उडद के मुआवजा के दर प्रति हैक्टर वाईज मुआवजा

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को पत्र किमांक 1304 दिनांक 29–10–2021 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा द्वारा पत्र कमांकः भू०अ०/8177 दिनांक 6–12–2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना अपीलार्थी को कार्यालय के पत्र कमांकः 5654 दिनांक 30–9–2021 से जरिये डाक से भिजवायी गई है। जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जा[illegible] निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा तथा अपील[illegible] को [illegible]त की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:56:15 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक